हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चतुर्थ सत्र

शनिवार, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष,1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

   श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

   (i) समिति के **287वें मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 226वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **210वें मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 322वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के **19वें मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 51वां कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के **155वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 211वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री जगत सिंह नेगी, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को **अमर उजाला** समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "**छात्रवृति घोटाले की जाँच को ठण्डे बस्ते में डालने की तैयारी**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **शिक्षा मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि उच्चतर शिक्षा के समन्वित विकास के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (एस0एच0ई0सी0) की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 15)

विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान (59-शिलाई),** शिलाई निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कफोटा के भवनों के निर्माण बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री पवन कुमार काज़ल (16-कांगड़ा),** दाड़ी के खेल मैदान को केवल खेल प्रतियोगिताओं के लिए ही उपयोग में लाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री आशीष बुटेल (19-पालमपुर),** पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भारी बरसात में न्यूगल खड्ड से कूहलों को हुए नुकसान व साथ लगते गांव भगोटला में रिटेनिंग वॉल लगाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री सुख राम
श्री बलबीर सिंह वर्मा } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही पेयजल/सिंचाई व अन्य कार्यों की देनदारियों पर यह सदन विचार करे।"

8. नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री सुरेश भारद्वाज, संसदीय कार्यमन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2018 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।"

धर्मशाला-176215 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 14 दिसम्बर, 2018 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(चतुर्थ सत्र)

'शनिवार, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 (शक्) के लिए निर्धारित

तारांकित प्रश्न सूची हेतु

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या	शुद्धियां
1087*	"मुख्य मन्त्री" को "बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मन्त्री" पढ़ा जाए ।

धर्मशाला (तपोवन)
दिनांक: 14.12.2018

यशपाल शर्मा,
सचिव।